राजस्थान—सरकार

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनूं (राजस्थान)
(दिनांक 12.03.2022 शनिवार)
लोक अदालत बैंच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

राजस्व वाद सं.—40/2021

1. बाबुलाल बुरावडिया पुत्र बिड़दाराम गुरावड़िया जाति मेघवाल निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज

..........**वादी**

बनाम

1. कंवरसिह पुत्र बिड़दाराम जाति मेघवाल निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना।

..........**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन

—:निर्णय:—

दिनांक :— 12.03.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी की बेंच के समक्ष प्रस्तुत हुई।

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:—

1. यह कि वाके ग्राम रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 390 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 418 रकबा 0.91 है., खसरा नम्बर 420 रकबा 1.30 है., खसरा नम्बर 422 रकबा 0.61 है., कुल किता 4 कुल रकबा 3.04 है. वादी 2.20 है. भूमि का खातेदार कास्तकार है तथा प्रतिवादी सं. 1 का 0.84 है. रकबा है। दोनो सगे भाई है। एवं अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज कास्त है।
2. यह कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 का खाता संयुक्त रहने से वादी को अपनी खातेदारी की भूमि की सीमाए कायम रखने सुधार कार्य आदि करने में परेशानी होती है। अपनी भूमि को अन्य उदेश्यों के लिए संपरिवर्तन करवाने मे भारी परेशानी है। इसलिए वादी के लिए अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक है।
3. यह कि वाद वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी की है वादी का इसमें 2.20 है. हिस्सा है एवं प्रतिवादी सं. 1 का 0.84 है. वादी व प्रतिवादी का खाता संयुक्त रहता है। तो वादी अपनी इच्छानुसार अपनी भूमि का उपयोग—उपभोग नही कर पाता है। जिससे वादी को ऐसी अपुर्तनिय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे [illegible] नही किया जा सकता ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.04.12 15:43:31 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि दावे के लिए आधार वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने से पैदा हुआ है। इसलिए दावा अन्दर मियाद है। वैसे भी इस प्रकार के दावों के लिए कानुन में कोई मियाद निर्धारित नहीं है।
5. यह कि रिहायस पक्षकारान व वाद वर्णित भूमि ग्राम रायपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के अधिकार क्षेत्र में है।
6. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार यह वाद 2 रूपये निध्रारित न्यायलय शुल्क पर सेवार्पित है।

वादी ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

(क). वाके ग्राम रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 390 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 418 रकबा 0.91 है., खसरा नम्बर 420 रकबा 1.30 है., खसरा नम्बर 422 रकबा 0.61 है., कुल किता 4 कुल रकबा 3.04 है. भूमि मे वादी के 2.20 है. हिस्से की भूमि का खाता प्रतिवादी सं. 1 के 0.84 है. से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किए जाने की कृपा करे।

(2). **दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।**

सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री अशोक यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर इकबालिया जवाब दावा पेश किया।

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पेश कर निवेदन किया है कि मुताबिक अनुतोष ए वादी का दावा डिक्री किए जाने से मुझे कोई आपति नहीं है।

(3). वादी की ओर से दस्तावेज में नकल जमाबंदी 2075 लगायत 78 ग्राम रायपुर जाटान पेश किए गए।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 25.03.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 24.06.2021 को प्राप्त हुई । उभय पक्षकरान राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 को बैंच के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किये हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर मह समस्त उभय पक्षकारान सहमत है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

(4). बहस सुनी गई।

(5). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.04.12 15:43:31 IST
Reason: SelfAttested

(5). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। अतः न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन बाहमी बंटवारे अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है तथा आदेश दिया जाता है कि —

—:: आदेश ::—

वाके ग्राम रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 390 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 418 रकबा 0.91 है., खसरा नम्बर 420 रकबा 1.30 है., खसरा नम्बर 422 रकबा 0.61 है., कुल किता 4 कुल रकबा 3.04 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ—1 लगायत अ—2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-03-2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत लोक अदालत बैंच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी द्वारा लिखवाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायलय के मुद्राकित मजमे आम सुनाया गया।

(श्रीकांत)
सदस्य
अधिवक्ता

(सुनील कुमार चौहान)
सदस्य
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

(दीपक कुमार)
अध्यक्ष
न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.04.12 15:43:31 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(दिनांक 12.03.2022 शनिवार)

लोक अदालत बैंच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

राजस्व वाद सं:– 40/2021
निर्णय दिनांक :– 12.03.2022

बाबुलाल **बनाम** कंवरसिंह आदि
दावा बाबत खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिती मे व प्रतिवादी 1 की ओर से श्री अशोक यादव एडवोकेट की उपस्थिती में, इस वाद में आज तारीख 12.03.2022 को लोक अदालत बैंच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" वाके ग्राम रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 390 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 418 रकबा 0.91 है., खसरा नम्बर 420 रकबा 1.30 है., खसरा नम्बर 422 रकबा 0.61 है., कुल किता 4 कुल रकबा 3.04 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

निर्णय आज दिनांक 12-03-2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत लोक अदालत बैंच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी द्वारा लिखवाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायलय के मुद्राकित मजमे आम सुनाया गया।

(श्रीकांत) सदस्य अधिवक्ता	(सुनील कुमार चौहान) सदस्य उपखण्ड अधिकारी बुहाना	(दीपक कुमार) अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.04.12 15:43:31 IST
Reason: SelfAttested